

तारांकित-177

परिशिष्ट-एक

स्वीकृत रचनाक्रम

संस्था में पदों का निर्धारण शासकीय विद्यालयों के लिये निर्धारित रचनाक्रम के आधार पर किया जावेगा, जो शिक्षात भिन्नानुसार होगा-

1. उ.मा.वि. (पस्था 11वीं से पस्था 12वीं तक) प्रत्येक वर्षा में दो वर्ग के मान से न्यूनतम चार वर्ग होये तथा अधिकतम 8 वर्ग के लिये भिन्नलिखित अमला होगा।-

स.क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	मासिक संविदा राशि समेकित तय प्रथम नियुक्ति पर नियत
1	प्राचार्य	1 (एक)	6500/-
2	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1	1. (एक) नौसिक शास्त्र-गणित 1. (एक) जीव विज्ञान-रसायन 2. (दो) हिन्दी-अंग्रेजी 1 (एक) भूगोल अथवा अर्थशास्त्र 1 (एक) राजनीति शास्त्र अथवा इतिहास 1. (एक) (एक) संस्कृत विषय संकलित है) 1. (एक) वाणिज्य/कृषि/गृहविज्ञान (विषय संचालित होने पर प्रत्येक के लिये एक)	4500-
3,	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3	2 (दो)	2500/-
4,	ग्रंथपाल संविदा आधार पर	1 (एक) 10 वर्ग से अधिक होने पर	2500/-
5,	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2	1 (एक) शारीरिक शिक्षा	3500/-
6,	गणक	1 (एक)	3000/-
7,	उ.श्रे.लि,	1 (एक)	2500/-
8,	नि.श्रे.लि,	1 (एक)	2000/-
9,	गृह्य	2 (दो)	1000/-

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष-3)